न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019 / 00368

सौभाग सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 68 की 02 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 65 की 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी संवत् 2022 के पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है । जिसके सम्बन्ध में सन् 1975 में नियमन की कार्यवाही में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मिसल संख्या 45/75 में नियमन का आदेश दिनांक 05.02.1975 को पारित किया हुआ है । राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार भी भूमि आदेश दिनांक 30.11.92 के अनुसार नियमित कब्जे धारियों को भूमि नियमन एवं आवंटन करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है और उसी के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 04.02.1997 को भी आराजी

खसरा नम्बर 68 की 02 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 65 की 17 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा संख्या 2022 से मानते हुए नियमन करने का आदेश प्रदान किया गया है । राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 04.02.97 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन संख्या 49/97 प्रस्तुत की गई थी जो राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.07.99 से खारिज कर दी गई और राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की मिसल संख्या 233/96 निर्णय दिनांक 04.02.97 को सही मानते यथावत रखने का आदेश पारित किया । वादी ने उक्त दोनों आदेशों की पालनार्थ जिला कलक्टर कोटा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगंजमण्डी एवं उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी को प्रदान करने हे प्रस्तुत किया था जो दिनांक 20.06.98 द्वारा जिला कलक्टर कोटा ने उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी को दोनों निर्णय अनुसार उक्त भूमि का नियमन किये जाने के लिये आदेश पारित किये थे जिसकी पालना आज तक नहीं की गई । उक्त भूमि पर पिछले 44 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर राज्य सरकार की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है । वादग्रस्त आरिजी में से 05 बीघा भूमि नियमन कर दी और 02 बीघा 10 बिस्वा शेष सिवायचक भूमि बची थी जिसमें से 01 बीघा 13 बिस्वा पर बोहरा फजल अली का कब्जा था और 17 बिस्वा पर नन्द सिंह का कब्जा था । उक्त 17 बिस्वा के सम्बन्ध में सन् 1975 से नियमन की कार्यवाही उसके पिता के समय से चली आ रही है । राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा सन् 97 में संवत् 2022 से पूर्व कब्जा मानते हुए नियमित किये जाने का आदेश पारित किया गया था । वर्तमान में खसरा नम्बर 65 की 02 बीघा भूमि ही दर्ज रिकॉर्ड कर रखी है जबकि आवंटन 05 बीघा ही की गई थी और उसके अनुसार 07 बीघा 10 बिस्वा में से 05 बीघा आवंटन होने के बाद 02 बीघा 10 बिस्वा दुरूस्त की जाकर किस्म बंजड दर्ज कर दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय अनुसार उस समय की दर अनुसार राशि वादी से जमा करवा कर भूमि सिवायचक से हटाकर वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 के द्वारा दावा खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर संवत् 2022 से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सन् 1998 में जिला कलक्टर कोटा ने उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को वादी अपीलान्ट के पक्ष में नियमन करने के आदेश पारित किये गये थे जिसकी पालना उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है ।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सरकार की ओर से वादी के वाद का कोई खण्डन नहीं किया गया फिर भी वाद वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया तो तनकी बनाने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अनावश्यक रूप से तनकी बनाकर मानमाने तौर पर निर्णय करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना दावा खारिज किया है । ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 62 की रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 की 17 बिस्वा भूमि संवत् 2022 से पूर्व से पुश्तैनी रूप से वादी अपीलान्ट के कब्जे में थी । सन् 1975 में नियमन का आदेश पारित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 04.02.1997 को नियमन का आदेश प्रदान किया गया था । राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जिसे खारिज किया गया । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज करने के अधिकारी है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । नियमन के आदेश की पालना नहीं की गई है इस कारण हक घोषणा का दावा पेश किया गया है । इसी आराजी में से अन्य को 05 बीघा आराजी नियमन की गई थी परन्तु वादी के पिता को नियमन नहीं की गई । वादी के द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है उसका कोई खण्डन नहीं है । वादग्रस्त आराजी स्ट्रीप ऑफ लैण्ड है जिसे अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किया जाना विधि सम्मत है । प्रतिवादी के द्वारा न तो जवाबदावा पेश किया गया और न ही कोई दस्तावेज पेश किये हैं फिर भी दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 01 उद्वरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 पेश की जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 65 और खसरा नम्बर 68 राजकीय कार्यालय एवं राजकीय आवास हेतु आरक्षित आराजी के रूप में दर्ज है । फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 04.02.1997 की पेश की गई है और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23.07.1999 की फोटो प्रति संलग्न की गई है । जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 10.07.2001 की फोटो प्रति भी संलग्न है । कुछ खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रतियॉ एवं धारा 91 भू–राजस्व अधनियम के नोटिसों की प्रतियॉ भी संलग्न है ।

10. वादी का शपथ पत्र एंव प्रतिवादी की ओर से राजू लाल मीणा का शपथ पत्र संलग्न है ।

11. वादग्रस्त आराजी संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राजकीय कार्यालय एवं राजकीय आवास हेतु आरक्षित भूमि है । पत्रावली पर संलग्न अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी के शपथ पत्र के अनुसार यह आराजी नगरपालिका को दी जा चुकी है । वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि सरकारी भूमि है पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है । यदि वादी स्वयं को वादग्रस्त आराजी के नियमन का पात्र समझते हैं तो उन्हें आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन सलाहकार समिति उस पर विधि सम्मत निर्णय ले सकती है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजकीय भूमि पर हक घोषणा का दाव मेन्टेनेबल नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजकीय कार्यालय एवं राजकीय आवास हेतु आरक्षित है जिसके बाबत् हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00368

सौभाग सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 43/दावा/2010

सौभाग सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. नगर पालिका, रामगंजमण्डी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.09.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08. 2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा